(2) भैंस का दूध–4 50 रुपए से 5 14 रु० प्रति० कि०ग्रा० (7% वसा तथा 9% ठोस नाट–फैट)

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

व्यापक फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिया जाना

228. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के संदर्भ में ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम तथा "नाबार्ड" की भूमिका की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त योजना को बढावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है, उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने तथा सातवीं योजनावधि के दौरान योजना को चलाने में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर बृहत फ़सल बीमा योजना में कार्यविधि संबंधी परिवर्तन करने की दृष्टि से 23–5–90 को नई दिल्ली में फसल बीमा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल है --नियमित आधार पर राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य बीमा निधि को वित्तीय योगदान, ऐसी फ़सलों, जिन्हें विभिन्न ऋण अवधियों की आवश्यकता होती है, को छोडकर बृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित मौसमी विशेषताओं को जारी, रखना ऋण वितरण एजेंसियो द्वारा भारतीय केंद्रीय बीमा निगम को समय पर अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करना, फसल कटाई मशीनरी में सुधार करना, सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मूल्यांकन यांत्रिकी को सुदृढ करना, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर सामान्य ऋण सीमा विवरण तैयार करना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार ही कृषि ऋणों का वितरण, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर अलग अलग किसानों के दावों की राशि जमा करना, जिला स्तरीय कार्य ढांचा आदि उपलब्ध करा कर बृहत फ़सल बीमा योजना के क्रियान्वयन मे लगी एजेंसियों, के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करना । इन सुझावों के आधार पर 26–11–90 को सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । इसको ध्यान में रखते हुए जहा तक बृहत फसल बीमा योजना का संबंध है, सरकार का ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम और नाबार्ड की भूमिका की समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ करना

229. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश मे चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजनायें प्रारंभ करने के लिए कुछ मंडलों/ब्लाकों का चयन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चावल के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है, और

(घ) इस परियोजना के प्रारंभ होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए "विशेष चावल विकास कार्यक्रम" की पूर्व तैयारी के रूप में

1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के 10 चुनिन्दा विकास खंडों में चावल उत्पादन के लिए मार्गदर्शी परियोजना चलाई गई थी। 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के 37 अभिज्ञात जिलों मे "एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम" कार्यान्वित किया जा रहा है।

1990-91 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 1593 96 लाख रुपए की परिव्यय राशि केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदान की गई है।

रेलवे प्लेटफार्मों पर जूस स्टाल आबंटित करने के संबंध में मापदण्ड

230. **डा० अबरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्लेटफार्मों तथा रेलवे कैन्टीनों पे जूस स्टालों के आवंटन के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड क्या हैं ;

(ख) राजस्थान के उन प्लेटफार्मों के नाम क्या क्या हैं जहां निकट भविष्य में इस प्रकार के स्टालों का आवंटन किया जाना हैं ; और

(ग) क्या मंत्री महोदय को किसी प्रकार का कोटा आवंटित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त चरण दास) : (क) क्षेत्रीय रेलो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा मार्ग निर्देशो के अनुसार जहा कहीं औचित्य पाया जाता है वहां जूस स्टालो सहित खानपान/वेंडिंग की सी लाइसेंस आबंटित किए जाते है।

(ख) फ़िलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नही।

कृषि उत्पादन की स्थिति

231. **डा. अबरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना मे इस वर्ष कृषि उत्पादन की स्थिति क्या है ; क्या इसमे कोई वृद्धि अथवा कमी हुई है और यदि हा, तो उसके क्या कारण है,

(ख) इस वर्ष तथा पिछले वर्ष विभिन्न कृषि उत्पादो का वसूली मूल्य क्या रहा है और यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) मूल्यों में वृद्धि का कृषि उत्पादन पर क्या असर पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) खाद्यान्नों, तिलहनों और अन्य फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान कृषि वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के खरीफ और रबी मौसमों के लिए अभी देय नहीं हुये हैं तथापि प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार खाद्यान्नों पटसन और मेस्ता तथा गन्ने का उत्पादन अधिक होने की आशा है जबकि कपास और तिलहनो का उत्पादन 1990-91 मे पिछले वर्ष की तुलना मे कम होने का अनुमान लगाया गया है।

1990 के दौरान देश के अधिकांश भागो मे दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितम्बर तक) मे पर्याप्त वर्षा होने तथा इसके साथ-साथ मूल्य प्रोत्साहन और पर्याप्त आदानों की आपूर्ति के साथ कारगर विस्तार की वजह से खाद्यान्नो पटसन और मेस्ता तथा गन्ने के उत्पादन मे वृद्धि होने की आशा है। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा मे कृमि रोग के प्रकोप की वजह से तथा गुजरात मे बुवाई के समय अपर्याप्त वर्षा होने की वजह से कपास का उत्पादन प्रभावित हुआ है। तिलहनो का उत्पादन विशेषकर मूंगफली का उत्पादन सौराष्ट्र तथा रायल सीमा क्षेत्रों मे चालू दक्षिण-पश्चिमी मानसून मौसम (1990) मे बुवाई के समय काफी समय तक सूखा पडने की वजह से प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 (फसल वर्ष) के लिये अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यो को दर्शाने वाला एक विवरण सलग्न है **(नीचे देखिए)**। विभिन्न जिन्सो के मूल्यों मे वृद्धि की घोषणा कर दी गई है ताकि आदानो की लागत मे हुई वृद्धि को कवर किया जा सके और साथ ही श्रमकों को उचित लाभ मिल सके। उसमे सामान्य स्थितियों के अंतर्गत अन्य मानदण्ड समान रखकर फसलों के उत्पादन और उत्पादकता मे वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की आशा है।